-05-

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

परमिशन वाद संख्या– 29/2023

संध्या किद्देर बनाम् श्री गुरूनानक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, रामगढ़

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख

25.08.2023

–:: आदेश ::–

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक संध्या किद्देर, पिता–आशीष एन०के० किद्देर, निवास ग्राम–निकट गुरूनाथ पब्लिक स्कूल, पो०–गोसा, मुर्रामकला, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा निचे वर्णित भूमि भूमि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के अन्तर्गत श्री गुरूनानक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, रामगढ़ को वर्णित भूमि बिक्री हेतु अनुमति आवेदन दायर किया गया है।

अनुमति हेतु दायर भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा	थाना / थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	कुल रकवा (अनुमति हेतु प्रस्तावित रकवा एकड़ में)
मुर्रामकला	रामगढ़	11	278	0.10 एकड़
कुल रकवा				0.10 एकड़

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–49 के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण की अनुमति हेतु निम्न प्रावधान है :–

Transfer of occupancy-holding or Bhuinhari-tenure for certain purposes :-

(1) Notwithstanding anything contained in Sections 46, 47 and 48 any occupancy raiyat or any member of a Bhuinhari family, who is referred to in Section 48 may transfer his holding or tenure or any part thereof for the following purposes :-

(a) in any case, the use of the land for any industrial purposes or for any other purposes which the State Government may, by ratification declare to be subsidiary thereto or for access to land used or required for any such purpose.

(b) in any case, the use of the land for the purpose of mining or for any other purpose which the State Government may, by notification, declare to be subsidiary thereto or for access to land used or required for any such purpose. -----

Before consenting to any transfer, the Deputy Commissioner shall satisty himself that [adequate compensation is tendered to landlord for the loss (if any) caused to him by the transfer], amd whwre only part of holding or tenure as transferred, may, if he thinks fit, apportion, between the transferee and the original tenant the rent payable for the holding or tenure

अंचल अधिकारी, रामगढ़ ने पत्रांक–1450, दिनांक–13.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि, "CNT Act की धारा–49 के तहत् उद्योग तथा खनन हेतु भू–हस्तांतरण का प्रावधान है। आवेदक द्वारा स्कूल निर्माण हेतु भू–हस्तांतरण की अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है। स्कूल निर्माण को उद्योग की श्रेणी में रखे जाने संबंधी राज्य सरकार को कोई भी दिशा–निर्देश उपलब्ध नहीं है। अतः भू–हस्तांतरण हेतु अनुमति दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।,"

आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन एवं संलग्न कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि श्री गुरूनानक सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, रामगढ़ से संबंधित बिक्री करने हेतु आवेदक द्वारा अनुमति की माँग की गई है। अंचल अधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त प्रतिवेदन एवं सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ द्वारा बहस के दौरान दिये गये बयान एवं छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–49 में इस उद्देश्य के लिए बिक्री हेतु परमिशन का कोई प्रावधान नहीं है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–49 के अंतर्गत अनुमति हेतु दांयर आवेदन विचार योग्य नहीं है, आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। संचिक करें।

लेखापित एवं संशोधित।

Chandan 25/08/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Chandan 25/08/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
रामगढ़।

Digitally signed by Chandan Kumar
Date: 2023.11.16 17:42:49 +05:30
Location: 192.168.194.197